न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी — श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर. ए. एस.

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/86	02.04.2024	06.06.2025

समवान

1. जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हाजीपुर तहसील नौगांवा अलवर

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नौगांवा अलवर

..... प्रतिवादीगण

2. दीवान चन्द
3. सुभाषचन्द पुत्रान कालूराम जाति ओड,
4. टिम्मूराम
5. धर्मचन्द
6. ललाराम पुत्रान सुन्दर जातियान राजपूत
7. रामचन्द्र पुत्र बुदधुराम जाति ओड निवासीयान ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा अलवर

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नं0 542 रकबा 0.70 हे0 जिसका खाता सं0 60 है व इसी प्रकार खाता सं0 61 खसरा नं0 105 रकबा 0.22 हे0, 403 रकबा 0.05 हे0, 405 रकबा 0.20 हे0, 642 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे0 व इसी प्रकार खाता सं0 62 के खसरा नं0 81 रकबा 0.02 हे0, 82 रकबा 0.02 हे, 84 रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.87 हे0 आराजी वाके ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी है और विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जा रही है। विवादित आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा कायम चला आ रहा है और उक्त विवादित

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

आराजीयात वादी के पिता सुन्दरलाल की आराजी थी और राजस्व रिकोर्ड में वादी के पिता सुन्दरलाल के नाम से ही दर्ज अमल चली आ रही थी तथा वादी के पिता सुन्दरलाल के फौत होने के बाद उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मृतक सुन्दरलाल की विरासत का इन्तकाल दर्ज अमल हुआ तथा मिन वादी के भाई ने अपने पिता सुन्दरलाल की विरासत का इन्तकाल खुलवाते समय जो शपथ पत्र दिया गया उसमें वादी का सही नाम जय किशन पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर सहवन से किशन पुत्र सुन्दर अंकित करवा दिया गया था जो नाम गलत है बल्कि सही नाम जय किशन पुत्र सुन्दरलाल है और यही नाम वादी के समस्त प्रकार के दस्तावेजातों में दर्ज वं अंकित हो रहा है। और पटवारी हल्का ने मौके व दस्तावेजातों की जांच किये बिना ही विरासत का इन्तकाल राजस्व रिकोर्ड में खोल दिया जिसमें वादी का गलत नाम किशन पुत्र सुन्दर दर्ज कर दिया और यही गलत नाम वादी के हक में तस्दीक हो चुका है। जिसका अंकन कागजात माल जमावन्दी आदि में हो रहा है। और वादी अपने हिस्से में आई आराजीयात पर आज तक बेरोकटोक विवादित आराजी पर काबिज है। और आज भी मौके पर वादी का कब्जा है। वादी के सभी दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजातो के आधार पर सही नाम जय किशन पुत्र सुन्दरलाल दर्ज चला आ रहा है तथा वादी अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया और राजस्व रिकोर्ड व दस्तावेजातों को दिखाया तो पटवारी हल्का ने बताया कि पहचान के दस्तावेजात व राजस्व रिकोर्ड में नाम अलग अलग है और जिसे विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में नाम दुरूस्त करवाना होगा जिस पर पटवारी हल्का ने कहा कि इसे तहसीलदार नौगांवा के यहां से दुरूस्ती करवानी होगी तब ही किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा जिसके लिए मिन वादी तहसीलदार साहब नौगांवा अलवर के पास दिनांक 13.02.2024 को गया और अपनी उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम को दुरूस्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी तहसीलदार नौगांवा के यहा पेश किया तो प्रतिवादी ने कहा कि पहले अदालत से आदेश लाओ तब तुम्हारे नाम को दुरूस्त किया जावेगा इस कारण से बिना देरी से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाज्मि हुआ है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री घोषणात्मक दुरूस्ती इन्दराज इस कदर सीदर की जावें कि आराजी खसरा नं0 542 रकबा 0.70 हे0 जिसका खाता सं0 60 है व इसी प्रकार खाता सं0

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

1 खसरा नं0 105 रकबा 0.22 हे0, 403 रकबा 0.05 हे0, 405 रकबा 0.20 हे0, 542 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे0 व इसी प्रकार खाता सं0 62 के खसरा नं0 81 रकबा 0.02 हे0, 82 रकबा 0.02 हे, 84 रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.87 हे0 आराजी वाके ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम किशन पुत्र सुन्दर के स्थान पर जय किशन पुत्र सुन्दर लाल दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार नौगांवा को आदेशित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 तलब किया गया। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावें का जवाब प्रस्तुत किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में किशन पुत्र सुन्दर दर्ज किया गया है एवं नामां0 स्वीकृत होने के पश्चात आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का दस्तावेजानुसार नाम जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल है एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार किशन पुत्र सुन्दरलाल है। भू0अ0नि0 व हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार किशन पुत्र सुन्दरलाल व जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल एवं उपलब्ध सभी दस्तावेजों में नाम जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल दर्ज है।

दावा व जवाब दावा के उपरान्त वाद में तनकीयात् कायम की गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में स्वयं वादी जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल ने हल्फनामा पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 ईएक्स–1, 2, 3, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र ईएक्स–4, आधार कार्ड ईएक्स–5, जनआधार कार्ड ईएक्स–6, राशन कार्ड ईएक्स–7, दैनिक डायरी एव शपथ पत्र ईएक्स–8 तथा किशनलाल पुत्र कालूराम ओड राजपूत का शपथ पत्र एवं तरतीबी प्रतिवादीगण लालाराम, धर्मचन्द पुत्रान सुन्दर के शपथ पत्र पेश किये गये।

वादी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी वादी ने आराजी खसरा नम्बर आराजी हाल खसरा नं0 542 रकबा 0.70 हे0 जिसका खाता सं0 60 है व इसी प्रकार खाता सं0 61 खसरा नं0 105 रकबा 0.22 हे0, 403 रकबा 0.05 हे0, 405 रकबा 0.20 हे0,

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

42 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे0 व इसी प्रकार खाता सं0 62 के खसरा नं0 81 रकबा 0.02 हे0, 82 रकबा 0.02 है, 84 रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 रकबा 0 87 हे0 आराजी वाके ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी है और विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जा रही है। विवादित आराजी में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा कायम चला आ रहा है और उक्त विवादित आराजीयात वादी के पिता सुन्दरलाल की आराजी थी और राजस्व रिकोर्ड में वादी के पिता सुन्दरलाल के नाम से ही दर्ज अमल चली आ रही थी तथा वादी के पिता सुन्दरलाल के फौत होने के वाद उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मृतक सुन्दरलाल की विरासत का इन्तकाल दर्ज अमल हुआ तथा मिन वादी के भाई ने अपने पिता सुन्दरलाल की विरासत का इन्तकाल खुलवाते समय जो शपथ पत्र दिया गया उसमें वादी का सही नाम जय किशन पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर सहवन से किशन पुत्र सुन्दर अंकित करवा दिया गया था जो नाम गलत है बल्कि सही नाम जय किशन पुत्र सुन्दरलाल है और यही नाम वादी के समस्त प्रकार के दस्तावेजातों में दर्ज वं अंकित हो रहा है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम किशन पुत्र सुन्दर के स्थान पर जय किशन पुत्र सुन्दर लाल दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार नौगांवा को आदेशित किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वादी के विद्वान वकील की बहस एवं पैरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमावन्दी सम्वत 2075–2078 ईएक्स–1, 2, 3, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र ईएक्स–4, आधार कार्ड ईएक्स–5, जनआधार कार्ड ईएक्स–6, राशन कार्ड ईएक्स–7, दैनिक डायरी एव शपथ पत्र ईएक्स–8 तथा किशनलाल पुत्र कालूराम ओड राजपूत का शपथ पत्र एवं तरतीवी प्रतिवादीगण लालाराम, धर्मचन्द पुत्रान सुन्दर के शपथ पत्र के अवलोकन से एवं पैरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि वादी का नाम किशन पुत्र सुन्दर के स्थान पर जय किशन पुत्र सुन्दर लाल होना बताया है तथा प्रार्थी का नाम मुताबिक पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड के अनुसार भी जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

अतः आदेश है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी वादी ने आराजी खसरा नम्बर 642 रकबा 0.70 हे0 जिसका खाता सं0 60 है व इसी प्रकार खाता सं0 61 खसरा नं0 105 रकबा 0.22 हे0, 403 रकबा 0.05 हे0, 405 रकबा 0.20 हे0, 642 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे0 व इसी प्रकार खाता सं0 62 के खसरा नं0 81 रकबा 0.02 हे0, 82 रकबा 0.02 हे, 84 रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.87 हे0 आराजी वाके ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर में दर्ज वादी का गलत नाम किशन पुत्र सुन्दर को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जयकिशन पुत्र सुन्दर लाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार नौगांवा को आदेशित किया जाता है। इस प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर ए एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
[illegible]	02.04.2024	06.06.2025

उनवान

1 जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हाजीपुर तहसील नौगांवा अलवर

.... वादी

बनाम

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नौगांवा अलवर

.... प्रतिवादीगण

3. दीवान चन्द
4. सुभाषचन्द पुत्रान कालूराम जाति ओड,
5. टिम्मूराम
6. धर्मचन्द
7. ललाराम पुत्रान सुन्दर जातियान राजपूत
8. रामचन्द्र पुत्र बुदधुराम जाति ओड निवासीयान ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा अलवर

...............तरतीबी प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि 542 रकबा 0.70 हे0 जिसका खाता सं0 60 है व इसी प्रकार खाता सं0 61 खसरा नं0 105 रकबा 0.22 हे0, 403 रकबा 0.05 हे0, 405 रकबा 0.20 हे0, 642 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 हे0 व इसी प्रकार खाता सं0 62 के खसरा नं0 81 रकबा 0.02 हे0, 82 रकबा 0.02 हे, 84 रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.87 हे0 आराजी वाके ग्राम हाजीपुर तह0 नौगांवा जिला अलवर में दर्ज वादी का गलत नाम किशन पुत्र सुन्दर को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जयकिशन पुत्र सुन्दर लाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार नौगांवा को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.06.2025 को तैयार कर सामिल मिसल की गई।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)